मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 19.06.2025

अनुमानित कीमत ₹ 1.5 करोड़ के अवैध गांजा के साथ 02 अन्तर्राज्यीय शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, गांजा तस्करी में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 19.06.2025 थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजापुर मोड़ के पास से एक कन्टेनर ट्रक वाहन संख्या NL 01 Q 7128 को पकड़ा गया जिससे 02 अन्तर्राज्यीय शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता 1. चन्द्रमणि नायक पुत्र बाल्मिकी नायक निवासी कुडुताई, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा व 2. जोगेन्द्र नायक पुत्र सीमांचल नायक निवासी कुडुताई घाटीपाली, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा बताया गया तथा उक्त कन्टेनर ट्रक में अवैध गांजा छुपाकर रखा होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाशी ली गई तो ड्राइवर सीट के पीछे प्लाईवुड से केबिननुमा जगह बनाकर रखा हुआ कुल 4 कुन्तल 24.700 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-237/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। तस्करी में प्रयुक्त उपरोक्त कन्टेनर ट्रक को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अन्तर्राज्यीय शातिर गांजा तस्करों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग द्वारा उक्त कन्टेनर ट्रक में ड्राइवर सीट के पीछे प्लाईवुड से केबिन बनाकर उसी में भारी मात्रा में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे की चेकिंग के दौरान हमें पकड़ लिया गया। उक्त गांजा जनपद प्रयागराज ले जा रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. चन्द्रमणि नायक पुत्र बाल्मिकी नायक निवासी कुडुताई, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा, उम्र करीब -34 वर्ष ।
2. जोगेन्द्र नायक पुत्र सीमांचल नायक निवासी कुडुताई घाटीपाली, थाना तारासिंह, जनपद गंजम, उड़ीसा, उम्र करीब-31 वर्ष ।

बरामदगी विवरण —

04 कुन्तल 24.700 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 1.5 करोड़)
गांजा तस्करी में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक वाहन संख्या NL 01 Q 7128 ।

पंजीकृत अभियोग —

237/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम राजापुर मोड़ के पास से, दिनांकः 19.06.2025 को समय 04.10 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष लालगंज संजय सिंह, उप-निरीक्षक अजय कुमार मिश्र व उप निरीक्षक शिवकरन सिंह मय पुलिस टीम ।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. मय पुलिस टीम ।
उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम ।

थाना- लालगंज
जनपद-मीरजापुर
Mob. : 9454404013
Utkarsh Small Finance Bank
Aapki Ummeed Ka Khaata
(A Scheduled Commercial Bank)